

14

FAX / गोपनीय

संख्या:- 412/छ:पु0से0-2-09-527(5)/09

प्रेषक,

मदन किशोर श्रीवास्तव,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस सेवाएँ) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 20 फरवरी, 2009

विषय:- पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में भारतीय पुलिस सेवा(उ0प्र0 संवर्ग) के तैनात अधिकारियों को सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य/सचिव एवं अपर सचिव पदों के सापेक्ष शासनादेश संख्या-3209डी0जी0/छ:पु0से0-2-2008, दिनांक 17.12.08, शासनादेश संख्या-3232डी0जी0/छ:पु0से0-2-2008, दिनांक 22.12.08 तथा शासनादेश संख्या-21डी0जी0/छ:पु0से0-2-2009, दिनांक 02.01.09 द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को तैनात करते हुये उन्हें तैनाती से पूर्व पद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था । बाद में शासनादेश संख्या-340(IV)/छ:पु0से0-2-2008, दिनांक 14.02.09 द्वारा उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त प्रभार को समाप्त करते हुये उन्हें पूर्णकालिक रूप से पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में तैनात किये गये उक्त अधिकारियों को अग्रेतर आदेशों तक अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था समाप्त होने के पूर्व तक जिन विभागों से वाहन, कार्मिक, उपस्कर तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध थी, यथावत प्राप्त होती रहेंगी ।

अतः अनुरोध है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया

(मदन किशोर श्रीवास्तव)
उपसचिव।